<u>ऑनलाईन आवेदन करने हेतु</u>
<u>आवेदन शुल्क जमा करने की प्रक्रिया</u>

ऑनलाईन आवेदन करने के लिये आवेदित की जाने वाली दुकान हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क को निम्नानुसार किसी भी एक प्रक्रिया द्वारा जमा कराया जा सकता है :–

1. <u>डी.डी. द्वारा भुगतान</u>

- निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि बराबर के डी.डी. (प्रत्येक आवेदन पत्र हेतु एक आवेदन शुल्क) बनवाना होगा।
- उक्त डी.डी. संबन्धित जिला आबकारी अधिकारी जहां आवेदन किया जाना है, के नाम बनवाया जायेगा।
- आवेदन शुल्क के डी.डी. के पृष्ठ भाग पर रजिस्ट्रेशन क्रमांक, आवेदक का नाम, एकाधिक आवेदन क्रमांक एवं आवेदन क्रमांक की सूचना आवश्यक रूप से लिखी जानी चाहिये।
- सॉफ्टवेयर से प्रिंट किये गये आवेदन प्रपत्र के साथ उक्त डी.डी. मय वांछित दस्तावेज संलग्न कर संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में निर्धारित समयावधि तक आवश्यक रूप से जमा कराये जाने होगें।

2. <u>ई–ग्रास चालानों के माध्यम से आवेदन शुल्क निर्धारित बैंक में जमा कराया जाना</u>

इस माध्यम द्वारा आवेदन शुल्क जमा कराने के ई–ग्रास चालान बनाये जाकर संबंधित जिले जिसमें आवेदन किया जाना है, की निर्धारित बैंक शाखा में नकद, चेक अथवा डी.डी. द्वारा निर्धारित राशि जमा कराई जा सकती है। इसकी प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः

- इस कार्य हेतु आबकारी विभाग के ऑनलाईन आवेदन की वेबसाईट पर ''आवेदक सैक्शन'' में ''<u>**बैक में राशि जमा कराने का ई–ग्रास चालान बनाये**</u>'' लिंक पर क्लिक करें।
- ''<u>**आवेदन क्रमांक एवं मोबाइल नम्बर**</u>'' दर्ज कर ''**खोजे**'' बटन पर क्लिक करें.
- आवेदन द्वारा किये गये समस्त आवेदनों की सूचना की सूचना प्रदर्शित होगी।
- आवदेन शुल्क जिसका भी चालान बनाया जाना है उसके लिए जमा कराई जाने वाली राशि दर्ज कर ''मैन्युअल आवेदन चालान'' बटन पर क्लिक करें, ई–ग्रास की वेबसाईट खुल जाएगी।
- सम्बन्धित जिले में राशि जमा करने के लिए निर्धारित बैंक ब्रांच की सूची प्रदर्शित होगी जिसमें से उस ब्रांच को सैलेक्ट करे, जिसमें चालान द्वारा राशि जमा कराई जानी है।

आबकारी विभाग, राजस्थान

- तत्पश्चात् ''Pay Now'' प्रदर्शित होगा बटन पर क्लिक चालान जिसका प्रिंट लिया जाना होगा।
- उक्त चालानों द्वारा निर्धारित बैंक शाखा में देय राशि जमा करावें
- उक्त चालानों की सूचना वेबसाईट पर ''किये गये भूगतान की सूचना दर्ज करें या भुगतान करें ''लिंक पर उपलब्ध भुगतान प्रक्रिया'' फार्म में दर्ज करें।
- प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाईट पर उपलब्ध ''यूजर मैन्युअल'' का अध्ययन करें।

3. <u>ऑनलाईन भुगतान</u>

ऑनलाईन भुगतान निम्नालिखित प्रक्रियानुसार किया जा सकेगाः—

- इस कार्य हेतु आबकारी विभाग के ऑनलाईन आवेदन की वेबसाईट पर आवेदक रजिस्ट्रेशन के पश्चात् आवश्यकतानुसार विभिन्न मदिरा दुकानों के लिए आवेदन करें।
- तत्पश्चात्, वेबसाइट पर ''आवेदक सैक्शन'' में उपलब्ध ''किये गये भुगतान की सूचना दर्ज करें या भुगतान करें'' लिंक पर उपलब्ध ''भुगतान प्रक्रिया'' फार्म में आवेदन शुल्क जिसका भी भुगतान करना है, के सैक्शन में ''भुगतान का माध्यम'' कॉलम में *''आबकारी वेबसाईट के माध्यम ऑनलाईन भुगतान''* ऑप्शन को सलैक्ट करें।
- इस सैक्शन में प्रदर्शित ''भुगतान करें'' बटन पर क्लिक करें ई—ग्रास की वेबसाईट खुलेगी।
- बैंक जिसके माध्यम से ऑनलाईन भुगतान किया जाना है को सेलेक्ट करें तथा ''Pay Now'' बटन पर क्लिक करें।
- चुने गये बैंक की इन्टरनेट बैंकिग की वेबसाईट खुलेगी। इस वैबसाईट पर ऑनलाईन भुगतान की निर्धरित प्रक्रिया को अपनाते हुए ऑनलाईन भुगतान की कार्यवाही को पूर्ण करें।
- E-Challan प्रदर्शित होगा जिसका प्रिंट आवेदक द्वारा लिया जाना चाहिये।
- इसी प्रक्रिया द्वारा ई—ग्रास वेबसाईट एवं आबकारी विभाग की वेबसाईट में मध्य बने कनेक्शन को बिना तोड़े पुनः आबकारी विभाग की वेबसाईट प्रदर्शित होने देवें।
- उक्त प्रक्रिया के अनुसार जिस मद का भुगतान किया गया है, का भुगतान कर दिया जाना स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
- प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट पर उपलब्ध ''यूजर मैन्यूअल'' का अध्ययन करे।

आबकारी विभाग, राजस्थान